न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./50/2025/बाड़मेर

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोंडेंट्स
1. पाबूराम पुत्र हणुताराम 2. झुंझाराम पुत्र हणुताराम 3. लिच्छु पत्नी हणुताराम, जाति जाट, निवासी हिरकन का थान, मिठड़ा खुर्द, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।		1. गुणेशाराम पुत्र पुनमाराम 2. डालूराम पुत्र पूनमाराम 3. भलाराम पुत्र पुनमाराम 4. मोहनलाल पुत्र पुनमाराम 5. कालूराम पुत्र चुनीलाल 6. रणछोड़ाराम पुत्र चुनीलाल 7. बाबूलाल पुत्र चुनीलाल 8. बाबुराम पुत्र भैराराम, जाति ब्राहमण, निवासी हिरकन का थान, मिठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। 9. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर। 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धोरीमन्ना।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 152/2023(2023/258) बउनवान गुणेशाराम बनाम पाबूराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 15.04.2025(22.04.2025) के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राजेश विश्नोई रेस्पो. संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. वकील श्री केसराराम विश्नोई रेस्पो. संख्या 5 से 8 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–30.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 04 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा हिरकन का थान, पटवार मण्डल मिठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 49 रकबा 8.2232 हेक्टेयर आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हमारे पडोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 274/50 रकबा 2.3472 हेक्टेयर जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 04 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा हिरकन का थान, पटवार मण्डल मिठड़ा खुर्द, तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 49 रकबा 8.2232 हेक्टेयर आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पडोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 274/50 रकबा 2.3472 हेक्टेयर जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलांट द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर तहसीलदार, धोरीमन्ना को हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 49 से कटाण मार्ग तक पहुंचने का रास्ता और अन्य कोई विकल्प के संबंध में जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। जिस पर तहसीलदार द्वारा मौके पर आये बिना ही मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में सुपुर्द की जिसको आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वास्तव में हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 54/1 में से अन्य विकल्प के तौर पर रास्ता उपलब्ध है। जो निकटत्तम एवं लघुत्तम रास्ता है। उक्त विकल्प को तलब मौका रिपोर्ट में नहीं दर्शाया जाकर मात्र अपीलांट को तंग परेशान करने की नियत से एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए में यह प्रावधान किया गया है कि प्रकरण विचारण न्यायालय के सामने आने के बाद न्यायालय का प्रथम कर्त्तव्य था कि दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति (Mutual Agreement) से प्रकरण को निर्णीत करने का प्रयास करते और उनके द्वारा पारस्परिक सहमति से प्रकरण तय नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब करते हुए विधि संगत कार्यवाही की जानी थी जिसका अपीलाधीन आदेश में अभाव पाया गया है। धारा 251–ए में यह भी प्रावधान किया गया है कि रास्ता निकालने की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता (Necessity is absolute necessity) होनी चाहिए और यह आत्यंतिक आवश्यकता जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग (Mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं होनी चाहिये, इसके साथ ही वैकल्पिक रास्ते/साधन का अभाव (Absence of alternative means of access) सिद्ध होना आवश्यक होता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट में उक्त समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है। जो

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खारिज किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 49 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 54/1 में से होकर रास्ता चलता है जो आगे जाकर सड़क मार्ग से जुड़ता है। जो सबसे निकटतम एवं लघुत्तम रास्ता है। इस हेतु हाजा न्यायालय में वर्तमान स्थिति अनुसार मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 03.09.2025 द्वारा वर्तमान मौका अनुसार मौका रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर अपीलांट को बिना सूचित किये ही एकतरफा अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करते हुए हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की जो गलत तथ्यों के आधार पर मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी हस्तगत प्रकरण के खसरा संख्या 54/1 जो निकटतम विकल्प था जिसको गलत नाप करते हुए अधिक दूरी का बताया जिस पर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में प्रश्नगत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पुनः खसरा संख्या 54/1 के संदर्भ में मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया जिस पर हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 07.10.2025 द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें खसरा संख्या 54/1 जो सबसे निकटतम विकल्प है उसमें धोरों का वर्णन करते हुए अपीलांट की आपत्ति को दरकिनार करते हुए तैयार कर हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की है। जो विधि संगत नहीं है प्रश्नगत मौका रिपोर्ट वास्तविक विधिक तथ्यों से विपरीत जाकर अपीलांट को तंग परेशान करने की नियत से तैयार की गई है।

प्रश्नगत एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अनुसार पूर्व से प्रयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ते को ही स्वीकृत किया जाता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में इसके उलट है। प्रस्तावित रास्ते की जगह पहले से कोई रास्ता चलायमान नहीं है। फिर भी विधि के नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व राजस्व कर्मचारियों के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपीलांट संख्या 3 की ओर से वकील ने अपीलांट के उपर्युक्त कथनों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि प्राप्त मौका रिपोर्ट में निकटतम विकल्प खसरा संख्या 54/1 के मौके पर गहरा गड्ढा लगभग 150 फीट होने का बताया है जो गलत है। गलत तथ्यों के साथ मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्त रास्ता निकटतम विकल्प होते हुए भी गलत मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर प्रेषित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोंडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के

(नवनीत सुथार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पों. को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को दिनांक 07.04.2025 को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर दिनांक 10.04.2025 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। जिससे अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित रास्ते को सबसे निकटतम दूरी का रास्ता होने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि संगत है। उक्तानुसार रेस्पोंडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर करते हुए हाजा न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु निवेदन किया था जिस पर रेस्पों. द्वारा सहमति जाहिर करते हुए मौका रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर अपीलाधीन आदेश अनुसार ही मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर भी अपीलांट द्वारा असहमति जाहिर की गई जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा पुनः इस स्तर से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर पर भी प्रस्तावित रास्ते/अपीलाधीन आदेशित रास्ता ही सबसे निकटतम एवं सुविधा युक्त रास्ता बताया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 54/1 के सबंध में जो वैकल्पिक रास्ता बताया गया है उसके संबंध में इस मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन आया है कि धोरा व गहरा गड्टा होने के कारण रास्ते के रूप में उपयोग किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। उक्त समस्त तथ्यों एवं बार–बार तलब मौका रिपोर्टों के बावजूद एक ही रास्ता बताया गया है जिसे ही अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित किया गया है जो विधि सम्मत आदेश है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित/प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत तक पहुंचने के लिए प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। निकटतम को गणीतीय रूप से निर्धारित नहीं किया जाना चाहिये। जहां कुछ ही मीटर का अन्तर हो वहां रास्ते की सुगमता देखी जानी चाहिये। जहां तक अपीलांट

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का मौका रिपोर्ट से पूर्व सूचना नहीं देने का प्रश्न है तो उस संबंध में स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को दिनांक 07.04.2025 को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर दिनांक 10.04.2025 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्त के अतिरिक्त अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौका रिपार्ट तलब किये जाने के प्रार्थना–पत्रों को हाजा न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दो वार तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें अपीलाधीन आदेश अनुसार ही रास्तों को प्रस्तावित किया गया है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार प्रतीत नहीं होता है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपत्ति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया। जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने अनेकों निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है। राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम, 1955 के नियम 69 में वर्णित है कि आई.एल.आर. से कम रैंक के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका नहीं देखा जाना चाहिये। उक्त के वाद में हाजा न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के संबंध में दो वार तहसीलदार को मौका कमिशनर नियुक्त करते हुए मौका रिपोर्ट तलब की गई है जिससे अपीलांट की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है। यदि किसी खसरे में से पूर्व में रास्ता दिया गया है तो दूसरी बार रास्ता देने हेतु भी कोई विधि बाधित नहीं करती है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया है रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 152/2023 (2023/258) बउनवान गुणेशाराम बनाम पाबूराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 15.04.2025 (22.04.2025) को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

30/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर